

कैके हाथ

15.9.22 पत्रावली पेअ हुई। वकील वादी पत्रावली में हाजिर नहीं आये हैं। वकील वादी को न्यायालय में आज छठ-पूथक समय पर तीन-तीन बार आवाज लगावानी गयी। बाकायद आवाज लगावने के उपरांत भी पत्रावली में वादीगण हाजिर नहीं आये पर पत्रावली अंतर्गत आदेश-9 दिनांक -3 आप्त डीवानी के तहत अदम हाजरी व अदम पैरवी में एतद्वारा रकारिज की जाती है। पत्रावली फेसल मुफ्त होकर नंबरसे फस की जाकर दाखिल दफ्तर है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। भिरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)

